राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18517/2024

अभिषेक शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, आयु लगभग 30 वर्ष, 35 मधुबन कॉलोनी, श्री गंगानगर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

2. निदेशक, पशुपालन निदेशालय राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।

3. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	सुश्री डी.एस. सोढ़ा। श्री मानवेन्द्र सिंह।
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री पवन भारती, श्री आई.आर. चौधरी, एएजी की ओर से।

माननीय श्री. न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

12/11/2024

1. यहां दो आदेशों को चुनौती दी गई है; एक दिनांक 28.06.2024 (अनुलग्नक 7) का, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का नाम अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया गया था, और दूसरा दिनांक 30.08.2024 (अनुलग्नक 8) का, जिसके अनुसार उसकी उम्मीदवारी को अयोग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा, वह दिनांक 11.03.2022 (अनुलग्नक 1) के विज्ञापन के अनुसार पशुधन सहायक के पद पर नियुक्ति चाहता है।

2. याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:-

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:00:12 AM)

2.1. पशुधन सहायक के पद के लिए प्रतिवादियों द्वारा 11.03.2022 को एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण शामिल था। याचिकाकर्ता, विकलांगता मानदंडों के तहत पात्र होने के कारण, पद के लिए आवेदन किया।

2.2. याचिकाकर्ता के पास दिनांक 15.07.2013 का वैध विकलांगता प्रमाण पत्र (40% से अधिक विकलांगता दर्शाता है) था, उसने ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उसे 19.03.2022 को प्रवेश पत्र जारी किया गया, और वह 22.06.2022 को आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ।

2.3. 07.07.2022 को, प्रतिवादियों ने अनंतिम मेरिट सूची जारी की, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम रोल नंबर 715796 के साथ दिखाई दिया, जिससे पद के लिए उसकी पात्रता की पुष्टि हुई।

2.4. याचिकाकर्ता ने अनंतिम सूची में शामिल होने के बाद 11.07.2022 को दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की।

2.5. याचिकाकर्ता का नाम फिर से उसी रोल नंबर 715796 के साथ अंतिम मेरिट सूची में दिखाई दिया, जिससे एक मेधावी उम्मीदवार के रूप में उसकी स्थिति की पुष्टि हुई।

2.6. 23.04.2024 को प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता सहित कई उम्मीदवारों के लिए पुनः चिकित्सा जांच का निर्देश दिया, जबकि याचिकाकर्ता ने वैध विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।

2.7. प्रतिवादियों ने 28.06.2024 को नियुक्ति आदेश जारी किया, जिसमें छह उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई, लेकिन याचिकाकर्ता को बाहर रखा गया, जबकि वह विकलांगता मानदंड को पूरा करता था और उसके पास मेधावी अंक थे।

2.8. 30.08.2024 को प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज करते हुए उसे बिना किसी वैध स्पष्टीकरण के अयोग्य घोषित कर दिया।

2.9. याचिकाकर्ता का तर्क है कि प्रतिवादियों की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। उसकी उम्मीदवारी को खारिज करना मनमाना, भेदभावपूर्ण है और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इसलिए, यह याचिका।

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:00:12 AM)

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा अग्रिम सेवा पर उपस्थित प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

4. सर्वप्रथम, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के पास दिनांक 473/15.07.2013 (अनुलग्नक 2) की चिकित्सा राय है, जिसे उसने निजी तौर पर, अपनी इच्छा से, श्रीगंगानगर के सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त किया है, तथा वह इस बात पर जोर देता है कि इसे उस चिकित्सा बोर्ड पर वरीयता दी जाए, जिसे भर्ती एजेंसी द्वारा विशेष रूप से गठित किया गया था, तथा उसके बाद समीक्षा चिकित्सा बोर्ड का गठन किया गया था। इस प्रकार याचिकाकर्ता का दावा है कि भर्ती एजेंसी के दोनों चिकित्सा बोर्डों ने याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति का निदान करने में त्रुटि की है।

4.1 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चिकित्सा दिशा-निर्देशों के अनुसार याचिकाकर्ता भर्ती के लिए पात्र है। तथापि, उसे उसके प्रदर्शन का लाभ नहीं दिया गया है।

5. इसके विपरीत, अग्रिम प्रति पर उपस्थित प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने कहा कि इस न्यायालय को चयन प्रक्रिया में पहले से ही दो बार दी गई चिकित्सा राय पर विशेषज्ञ के रूप में अपील में नहीं बैठना चाहिए, एक बार चिकित्सा बोर्ड द्वारा और दूसरी बार समीक्षा चिकित्सा बोर्ड द्वारा।

6. मैं प्रतिवादियों के विद्वान वकील की दलीलों से सहमत हूँ। इस संदर्भ में, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के **अहिल सिंह बनाम भारत संघ और अन्य**[1] के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। इससे संबंधित प्रासंगिक जानकारी नीचे दी गई है:-

> "10. सेना के डॉक्टर द्वारा उम्मीदवार को फिट घोषित करने के लिए अपनाए जाने वाले चिकित्सा मानक, नागरिक डॉक्टर के मानकों से भिन्न होते हैं। सेना को उबड़-खाबड़ इलाकों, कठोर जलवायु परिस्थितियों, तनावपूर्ण परिस्थितियों में सेवा करनी होती है। सेना में सेवा के लिए उम्मीदवारों की फिटनेस पर विचार उन अपेक्षित कर्तव्यों के आधार पर किया जाना चाहिए जो उन्हें देश की रक्षा करते समय जलवायु परिस्थितियों, उबड़-खाबड़ इलाकों, चरम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए करने होते हैं। उन्हें सेवा की स्थिति की कठोरताओं को सहने के लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:00:12 AM)

से फिट होना आवश्यक है, तदनुसार, सेना में सही उम्मीदवार का चयन करने के लिए बहुत उच्च चिकित्सा मानकों की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता को फिट घोषित करने वाली सिविल अस्पताल की रिपोर्ट को सेना के विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सशस्त्र बल के विशेषज्ञों द्वारा किए गए मूल्यांकन में हस्तक्षेप होगा। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक सिविल पद की भर्ती के मानदंड सेना के मानदंडों से भिन्न होते हैं और दोनों के चयन के मानक भी भिन्न हो सकते हैं।

11. याचिकाकर्ता की जांच क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा की गई है, जिनका मानना था कि याचिकाकर्ता टीएमजे सबलक्सेशन से पीड़ित है। इन विशेषज्ञों ने याचिकाकर्ता की योग्यता के संबंध में एक राय बनाई है और इस बारे में सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश हैं। दुर्भावनापूर्ण/पक्षपात का कोई आरोप नहीं है और इस तरह की राय में कोई हस्तक्षेप इस न्यायालय द्वारा वारंट नहीं किया जाता है।

7. मैं उपरोक्त दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हूं, क्योंकि यहां भी स्थिति ऐसी ही है।

8. मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा **नरिंदर सिंह बनाम सीआरपीएफ के महानिदेशक और अन्य**[2] में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है, जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

9. इसलिए, मुझे हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं दिखता। तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

29-मोहन

क्या प्रकाशन हेतु उपयुक्त - हाँ / नहीं।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:00:12 AM)

निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़

---

1. जम्मू-कश्मीर HC WP(C) संख्या 797/2021, 27.05.2022 को निर्णय लिया गया

2. 2018 0 सुप्रीम टुडे (J&K) 387

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:00:12 AM)